

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2022—आषाढ़ 29, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ-ए-3-93-2017-1-पांच-(43).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-93-2017-1-पांच (162), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक में “30 जून 2022” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “28 जुलाई 2022” अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ-ए-3-93-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-93-2017-1-पांच-(43), दिनांक 20 जुलाई, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th July 2022

No. F-A-3-93-2017-1-V (43).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, makes the following further amendments in this department's notification No. F A 3-93-2017-1-V-(162), dated the 29th December, 2017, namely:—

In the said notification, in the sixth proviso, for the figures, letters and words "30th day of June, 2022", the figures, letters and words "28th day of July, 2022" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of July, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.